न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 2307/2016
GCMS NO. : 2016/00288

-: प्रार्थी :-

1. सुवादेवी पत्नी भंवरलाल
2. नाथी पुत्री भवंरलाल
3. लक्ष्मी पुत्री भंवरलाल
4. पप्पु देवी पुत्री भंवरलाल
5. डुंगरराम पुत्र भंवरलाल
6. किशनलाल पुत्र भंवरलाल

जातियान-घांची, निवासी- जैतारण, तहसील- जैतारण, जिला- पाली राज0।

बनाम

-: अप्रार्थीगण :-

1. सम्पतराज पुत्र लालाराम
2. प्रेमदेवी पत्नी सम्पतराज जाति- घांची निवासी जैतारण तहसील जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः-01.07.2016

उपस्थितः- 1. श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

दिनॉकः- 30/08/2022

-:: निर्णय ::-

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण में सायलान की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 539 रकबा 00-04 बीघा किस्म गैर मुमकिन बेरा व खसरा संख्या 540 रकबा 23-14 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। जिसके सायलान 1/10 हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार है। सायलान का उक्त भूमि पर अपने 1/10 हिस्से पर शांतिपूर्वक बिना किसी रोक टोक के कब्जा काश्त चला आ रहा है। राजस्व रेकर्ड में सायलान का नाम बतौर खातेदार काश्तकार के दर्ज है। चालू जमाबंदी की नकल प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही है जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उक्त आराजी पर अपने हिस्से माफिक मोके पर सायलान काबिज होकर शांतिपूर्वक काश्त करते आ रहे है। एवं उक्त आराजी का अपने हिस्से माफिक सायलान उपयोग उपभोग करते आ रहे है। उक्त आराजी मौके पर अपने हिस्से माफिक बंटी हुई हैं उक्त आराजी सायलान के पिता की खरीदशुदा है। सायलान स्वयं दिनांक 15.06.2016 को अपनी उक्त आराजी में सफाई का कार्य कर रहे थे तब गैरसायलान, सायलान की उक्त आराजी में अनधिकृत रूप से प्रवेश कर बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की तब सायलान ने गैरसायलान को मना किया तो गैर सायलान ने ऐलानिया कहा कि हम इक्कठा होने पर किसी भी सूरत में आपको उक्त आराजी में फसल बुवाई नही करने देंगे। हम उक्त आराजी में जबरदस्ती लाठी के बल पर फसल की बुवाई करके रहेंगे। जबकि उक्त आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:41:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला-पाली

सायलान का कोई हक, हिस्सा अधिकार नही होते हुए भी केवल मात्र लाठी के बल और कानून को अपने हाथ में लेकर सायलान से लड़ाई झगड़ा करके सायलान की उक्त आराजी पर काबिज होना चाहते है। एवं सायलान को बेदखल करने पर आमादा है। जबकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है तथा यदि गैरसायलान जबरदस्ती सायलान को उनके कब्जे काश्त की कृषि भूमि से बेदखल करने की कोशिश करेंगे तो सायलान अपने जायज अधिकारो से वंचित रह जायेगे तथा विविध प्रकार की मुकदमेबाजी होगी एवं सायलान जैरबार होगा जिसकी क्षतिपूर्ति गैरसायलान किसी भी सूरत में अदा नही कर सकेंगे। उक्त आराजी सायलान की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होने से प्रथम दृष्टया मामला सायलान के पक्ष में बहुत ही मजबूत है एवं मौके पर कब्जा काश्त सायलान का होने से सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए सायलान अपने खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक कार्य करे या किसी से करवाये तो उसमें गैरसायलान स्वयं या इनके परिवार के सदस्य, नौकर, चाकर, हाली एजेण्ट आदि से किसी प्रकार की दखलन्दाजी, अवरोध, अड़चन, रोक टोक व बाधा आदि उत्पन्न नही करे व न ही किसी से करवावे जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसलावाद रोका जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित भूमि व उसका जाव सायलान व गैरसायलान के पूर्वज बस्ताराम वल्द गणेशराम की खातेदारी व कब्जेकाश्त की थी। उनके देहान्त के उपरान्त इस भूमि में बस्ताराम के पांचो पुत्र क्रमशः भंवरलाल, कुनाराम, लालाराम, माणकचंद व भीकाराम का हक हिस्सा व अधिकार था। व इसी माफिक भूमि पर काबिज हुए थे, तब से लगायत आज दिन तक सम्पूर्ण भूमि के 1/5वे हिस्से की भूमि पर जवाबदेहन्दा काबिज है, राजस्व रेकर्ड में भूमि गलत तरीके से भंवरलाल, कुनाराम व भीकाराम के नाम दर्ज हो गई थी, जिसके बाबत् राजस्व न्यायालय में दावा 30/1984 लालाराम व माणकचंद की ओर से पेश किया गया था। जिसमें बाद विचारण के दिनांक 04.11.1987 को प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारिक किया जाकर इस भूमि में पांचो भाईयो का बराबर 1/5-1/5 वां हक हिस्सा व अधिकार होना माना गया। नकल फैसला इस जवाब के साथ पेश है। इस प्रकार से यह स्वीकृत रूप से वादग्रस्त भूमि में सायलान के पति व पिता भंवरलाल जी का 1/5 वां हक हिस्सा व अधिकार ही था, जो उन्होने जरिए पंजीबद्ध विक्रय विलेख के रामसुख कुमावत व अन्य को बेचान कर दिया तथा मौके पर कब्जा भी रामसुख को सौंप दि[illegible] से सायलान या उनके पिता या पति भंवरलाल का इस वादग्रस्त भूमि [illegible] किसी प्रकार से कोई हक हिस्सा व अधिकार शेष नही रहा है। सायलान के नाम [illegible] रेकर्ड में गलत प्रविष्टि हो रखी है जिसके बाबत् भी सक्षम राजस्व न्यायालय [illegible] राजस्व वाद का निर्णय हो चुका है। जिसमें अन्तिम डिक्री पर्चा तैयार होने के बाद उसकी पालना भी करवाई जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:41:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

बाबत् कार्यवाही की जायेगी। सायलान ने भूमि को अपने पिताजी द्वारा खरीदशुदा होना झूठा बताया गया है बल्कि सम्पूर्ण भूमि पैतृक व पुश्तैनी है। सायलान ने दिनांक 15.06.2015 को मौके पर विवाद होने तथा सायलान के कब्जे काश्त में गैरसायलान द्वारा बाधा व अड़चन पैदा करने के आरोप झूठे लगाये है वास्तविकता में मौके पर सायलान का अपना हिस्सा बैचान करने के बाद से ही कभी भी कोई हक हिस्सा शेष नही रहा है। मौके पर सायलान का कोई कब्जा काश्त व हक अधिकार नही रहा है तथा न ही वर्तमान में है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला सायलान के पक्ष में होने के कथन गलत व बेबूनियाद है। इस प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि से सायलान पूर्णतया आउट ऑफ पजेशन है। इसलिए सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में प्रमाणित है। इसलिए यदि इस प्रकरण में स्थगन आदेश जारी किया जाता है तो सायलान की बजाय गैरसायलान को असीम क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही हो सकेगी इसलिए सायलान का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः–

(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :– वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादपत्र प्रस्तुत कर हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा जैतारण में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 539 व 540 के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। तथा मौके पर कब्जा काश्त है अप्रार्थीगण उक्त आराजी के खातेदार नही है इसके बावजूद अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे है। जिसका इन्हे कोई हक नही है।

अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के कथनो का खण्डन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी उभयपक्ष के पूर्वज बस्ताराम वल्द गणेशराम की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि थी, उनके देहान्त के उपरान्त इस भूमि में बस्ताराम के पांचो पुत्र क्रमशः भंवरलाल, कुनाराम, लालाराम, भीकाराम व माणकचंद का हक हिस्सा था व इसी माफिक आज भी जवाब देहन्दा 1/5 वें हिस्से की भूमि पर काबिज है। रिकॉर्ड में हिस्सा गलत दर्ज है जिसके बाबत् राजस्व न्यायालय में राजस्व दावा 30/1984 पेश किया गया जो जवाब देहन्दा के पूर्वज व पिताजी लालारामजी व उनके भाईयो के पक्ष में निर्णित किया गया। वादग्रस्त आराजी में सायलान के पति व पिता भंवरलाल का 1/5 वां हक हिस्सा था जो उन्होने [illegible] विक्रय विलेख के रामसुख कुमावत को बैचान कर दिया। अतः अब सायलान का वादग्रस्त आराजी में कोई हक हिस्सा शेष नही होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:41:30 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी में खातेदार दर्ज नही है। वादग्रस्त आराजी अविभाजित सहखातेदारी भूमि है,

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

प्रार्थीगण द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वाद प्रस्तुत किया है लेकिन प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी में बतौर सहखातेदार दर्ज किरणदेवी पुत्री कुनाराम, किशोर पुत्र कुनाराम, गजेन्द्र पुत्र कुनाराम, जसी देवी पत्नी कुनाराम, प्रेमदेवी पुत्री कुनाराम, राजूदेवी पुत्री कुनाराम, रामसुख पुत्र पोकरराम, श्यामलाल पुत्र कुनाराम को बतौर पक्षकार संयोजित नही किया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निहित होना नही माना जा सकता है। अतः यह बिन्दू प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

(02) सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :- चुंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित हुआ हैं, साथ ही वादग्रस्त आराजी अविभाजित सहखातेदारी भूमि है तथा प्रार्थीगण जो कि उक्त आराजी में सहखातेदार है, द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादपत्र प्रस्तुत किया है लेकिन अन्य सहखातेदारान् को बतौर पक्षकार संयोजित नही किया है ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी में केवल प्रार्थीगण के पक्ष में ही सुविधा का संतुलन निहित होना स्वीकार नही किया जा सकता है। साथ ही प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है कि जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने का आसन्न संकट विद्यमान है। अतः उपर्युक्त दोनो बिन्दू बखूबी साबित नही होने से प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किए जाते है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण प्रार्थना-पत्र साबित करनें में पूर्णतया असफल रहे हैं, अतः प्रार्थना-पत्र अस्वीकार/खारिज किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली-भाँति साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(ज़िला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 30/08/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(ज़िला-पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:41:30 IST
Reason: SelfAttested